

प्रेस नोट दि०-24.02.2026

प्रेस नोट दिनांक 24.02.2026

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ०नि० अवधेश सिंह मय हमराह का० राहुल सिंह व हे० का० राजेश सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन तलाश वांछित, वारंटी / प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान माननीय न्यायालय एण्डी०जे० कोर्ट न० 1 प्रतापगढ़ महोदय द्वारा जारी मु०सं० 273/2012 धारा 147/148/32/201 भादवि० से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त मंगल गौतम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मंगल गौतम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० अवधेश सिंह मय हमराह का० राहुल सिंह व हे० का० राजेश सिंह थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.02.2026

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ०नि० कैलाश यादव मय हमराह का विपिन कुमार व का० धीरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन तलाश वांछित, वारंटी / प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा जारी क्रि० अपील सं० 2479/2004 से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त 1.लल्लू पाल उर्फ रामपाल उर्फ नेता पुत्र गयादीन निवासी बढनी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 80 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बढनी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. 1.लल्लू पाल उर्फ रामपाल उर्फ नेता पुत्र गयादीन निवासी बढनी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 80 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० कैलाश यादव मय हमराह का विपिन कुमार व का० धीरज कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 24.02.2026

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत महुली रोड से सीताराम इण्टर कालेज ऐलाही की तरफ जाने वाली सड़क के पास से किया गया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2025 को वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा पुराने विवाद को लेकर वादी व वादी के परिजनों पर आरोपीगणों द्वारा हमला कर मारपीट कर घायल कर दिया तथा तमन्चे से फायर करने के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 मु.अ.सं. 59/25 धारा 288/351 (3)/352/3(5) बी0एन0एस0 बनाम 02 नामजद व 05-06 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 कैलाश यादव व का0 वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 59/25 धारा 288/351 (3)/352/3(5) /109 (1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त राज उर्फ गौतम उपाध्याय पुत्र कमलेश उपाध्याय निवासी पूरेधनी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत महुली रोड से सीताराम इण्टर कालेज ऐलाही की तरफ जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त राज उर्फ गौतम उपाध्याय पुत्र कमलेश उपाध्याय निवासी पूरेधनी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-

01- 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 कैलाश यादव व का0 वीरेन्द्र यादव थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.02.2026

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

दिनांक 19.02.2026 को ग्राम बिबिया करनपुर थाना कंधई निवासी वादी द्वारा बकाया फीस मांगने पर वासिब अली व इरफान पुत्रगण आशिक अली निवासी सोनाही थाना दिलीपपुर तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज, मारपीट एवं गला दबाने के प्रयास के संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/333/131 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उक्त प्रकरण में आज दिनांक 24.02.2026 को उ0नि0 अनुपम पटेल थाना दिलीपपुर द्वारा नामजद अभियुक्त मो0 वासिब पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार प्रतापगढ़ भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही कार्यवाही की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 वासिब पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 24.02.2026

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद बैट्री व 01 अदद झटका मशीन के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मोहम्मद सोहेल उर्फ मौला को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद बैट्री व 01 अदद झटका मशीन बरामद-

अभियुक्त को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत आमीशंकरपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

वादी ग्राम आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ अपने खेत में झटका मशीन, तार व बैट्री लगाया था जिसे दिनांक 22.02.2026 की रात में उसके गांव का ही मोहम्मद सोहेल पुत्र लाल मोहम्मद चुरा ले गया है। काफी पूछने के बाद भी मेरी बैट्री व अन्य सामान नहीं दे रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम मोहम्मद सोहेल पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 विधिचन्द्र, का0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 33/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त, मोहम्मद सोहेल उर्फ मौला पुत्र लाल मोहम्मद निवासी आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी की 01 अदद बैट्री व 01 अदद झटका मशीन के साथ थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत आमीशंकरपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद बैट्री व 01 अदद झटका मशीन बरामद की गई, उक्त बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 22.02.2026 की रात्रि को मैंने गांव के ही व्यक्ति के खेत से इसे चोरी किया था। यह वही बैट्री व झटका मशीन है। अपनी गलती की मांफी मागते हुए बता रहा है कि मेरे पास मोहनलालगंज सीमेन्ट फैक्ट्री में काम करने हेतु जाने के लिये किराया नहीं था इसीलिए मैंने यह चोरी की है इसको बेचकर जो रूपये मिलते उससे मैं वहां काम करने के लिये जाता।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोहम्मद सोहेल उर्फ मौला पुत्र लाल मोहम्मद निवासी आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० नन्दलाल यादव मय हमराह का० विधिचन्द्र, का० सुरेन्द्र कुमार थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 24.02.2026

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ०नि० मो० नदीम खान मय हमराह का० ध्यानचन्द्र, का० प्रवीन कुमार द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरेजवा जाखामई के पास से 01 अभियुक्त रामअवतार सरोज पुत्र लक्ष्मण सरोजनि० बरेजवा जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 58 वर्ष को 10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु०अ०सं० 39/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामअवतार सरोज पुत्र लक्ष्मण सरोजनि० बरेजवा जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 58 वर्ष ।

बरामदगी-

10 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० मो० नदीम खान मय हमराह का० ध्यानचन्द्र, का० प्रवीन कुमार थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।